न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 830 / 2022

अनवान : –

1. प्रवीण पुत्र भगतराम जाति जाट निवासी जनानियां तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. भगतराम पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी जनानियां तहसील नोहर।
2. पूजा पुत्री भगतराम जाति जाट निवासी जनानियां तहसील नोहर।
3. प्रियंका पुत्री भगतराम जाति जाट निवासी जनानियां तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 28/3/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी संवत 2074–2077 के खाता सं0 174 / 63 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 1.5180हैक्ट भूमि व रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 75 / 75 के कुल खसरे 17 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 भगतराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है। वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रतिवादी स0 1 जो वादी का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहता है तथा प्रतिवादीया स0 2 ता 3 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। इस प्रकार प्रतिवादी स0 1, 2 व 3 का वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नही बचा है। बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि ... वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:54:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नोहर

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टरं किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 4 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होनें के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स0 1 वादी का पिता तथा प्रतिवादीया स0 2 ता 3 जो की वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है तथा वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी संवत 2074–2077 के खाता सं0 174/63 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 1.5180हैक्ट भूमि व रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 75/75 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत पदमपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:54:19 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी संवत 2074–2077 के खाता सं0 174/63 की कुल 1.5180हैक्ट भूमि व रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 75/75 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त दोनों खातों की भूमि में प्रतिवादी सं0 1 भगतराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी प्रवीण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 28/3/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:54:19 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 830 / 2022

अनवान : –

1. प्रवीण पुत्र भगतराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. भगतराम पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
2. पूजा पुत्री भगतराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
3. प्रियंका पुत्री भगतराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 830 सन 2022 निर्णय दिनांक...28/3/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री सुबोध शर्मा की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी संवत 2074–2077 के खाता सं0 174 / 63 की कुल 1.5180हैक्ट भूमि व रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 75 / 75 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त दोनों खातों की भूमि में प्रतिवादी सं0 1 भगतराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी प्रवीण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/3/23...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:54:19 IST
Reason: SelfAttested